श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैं उसी बजट प्रपोजल पर...

उपसभापति : ठीक है, उनको मालूम होना चाहिए ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो रिवाइवल पैकेज भेजना था, वह भेजा है या नहीं और अगर नहीं भेजा तो आपने क्यों नहीं भेजा ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: I have already mentioned that the ICICI has to work for the revival of the project. We will support this with our suggestions and in every possible manner. We will follow all these instructions and directions of the BIFR to see that viable projects come up in that region.

फलदार पेड़ उगाने के लिये वन भूमि का आबंटन

*642. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास पर 30,000 करोड़ रुपए व्यय करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ परिवारों को फलदार पेड़ उगाने के लिए बन भूमि आबंटित करके उन्हें रोजगार दिलाने हेतु उपरोक्त राशि में से 12,000 करोड़ रुपए का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त धनराशि में से आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है और इससे कितने ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचेगा ?

*Not recorded.

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30.000 करोड़ रु० के आबंटन का सुझाव दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक आबंटन निम्न प्रकार रहा है :-

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आबटन
1992-93	3600
1993-94	5010
1994-95	7010

(ख) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अजीत जोगी : उपसभापति महोदया, यह बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण विकास के नाम पर 30,000 करोड़ रुपए 8वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय शासन द्वारा व्यय किए जायेंगे, पर यह उतनी ही निराशाजनक बात है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जो राशि खर्च हो रही है, उसमें से कोई भी राशि वन-विभाग को रिजर्व और प्रोटेक्टिव भूमि वृक्षारोपण के नाम पर, विशेषकर फलदार पेड़ लगाने वाले वृक्षों के नाम पर खर्च नहीं की जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि, वे भी उस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग से मैं आता हूं, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम जिस तरह से मैदानी इलाकों में लागू किया जा रहा है, उसी तरह से अगर आदिवासी इलाकों में भी लागू किया जाएगा, वैसे ही कार्य वहां भी लागू किया जायेंगे तो उसका फायदा अनसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलेगा, वहां आपको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो कार्य वहां के लोगों, वहां के वातावरण और जन-जीवन के मालिक हों। आदिवासी का संबंध सीधा जल, जमीन और जंगल से

होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जो ग्रामीण विकास कार्यों की सूची आपके मंत्रालय ने बनाई है, उसमें जो वृक्षारोपण के कार्यों को शामिल नहीं किया गया है, विशेषकर वन-विभाग की भूमि पर फलधारी वृक्षारोपण को शामिल नहीं किया गया है . . .

उपसभापति: आप जरा प्रश्न संक्षिप्त कर दीजिए ।

श्री अजीत जोगी : क्या आप इस सूची को पुनरीक्षित करेंगे और आदिवासी इलाकों के लिए ऐसी सूची बनायेंगे जिसमें वृक्षारोपण शामिल हो और ऐसे दूसरे कार्य शामिल हों जिनका फायदा सीधा आदिवासियों को मिले ?

श्री उत्तम भाई पटेल : महोदया, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, ऐसा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है । कार्यक्रम बड़ा अच्छा चल रहा है लेकिन जंगल विभाग की जमीन पर फल-वृक्ष रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं है तो पैसा देने का सवाल नहीं है ।

श्री अजीत जोगी : उपसभापति महोदया, बिल्कुल गलत बात है ये । जंगल विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण कोई नहीं चाहेगा, ऐसा अगर हम मान लें तो यह बिल्कुल गलत धारणा होगी । हर आदिवासी यह चाहता है कि वन विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण हो, विशेषकर फलधारी वृक्ष लगें जिससे उसको सीधा लाभ मिलेगा । आदिवासी के जीवन में 70 प्रतिशत आय उसको जंगल से मिलती है । इसलिए मैं कह रहा हूं कि . . . (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I have to make an announcement.

श्री अजीत जोगी : महोदया, मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि इसकी मांग ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है । मेरे ख्याल मे यह धारणा गलत है ।

Welcome to Parliamentary Delegations from Maldives

THE DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make.

We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from the Maldives, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency Mr. Abdulla Hameed, Speaker of the Citizens' Majlis of Maldives.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the Delegation and wish our distinguised guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people, and their visit to this country will further strengthen the friendly bond that exists between India and the Maldives.

Though them we convey our greetings and best wishes to the Members of the Citizens' Majlis and the friendly people of the Maldives.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

S.Q. No. 642-Contd.

श्री अजीत जोगी : महोदया, मेरी रक्षा करें । एक ऐसा उत्तर आया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । मैं आपसे रक्षा की मांग कर रहा हूं ।

उपसभापति : मंत्री जी, उनका कहना यह है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी जिंदगी जंगल पर निर्भर है । तो आप इस बारे में कोई विचार कर रहे है या नहीं, यह जबाब दे दीजिए

श्री उत्तमभाई पटेल : उपसभापति महोदया, इसमें पूरा विश्वास रखना चाहिए

कि जंगल विभाग के पास भी अच्छी राशि है । वह लोग जंगल विभाग में पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और हम जब पेड़ लगाने का कार्यक्रम बनाते हैं, हमारा बंजर भूमि का डिपार्टमेंट है । तो जो खानिकी जमीन है या ऐसी जमीन है जो जंगल विभाग में नहीं आती है, ऐसी जमीन पर पेड़ लगाने का काम इस डिपार्टमेंट में होता है ।

उपसभापति : अब तीसरा सवाल मत पूछिए ।

श्री अजीत जोगी : महोदया, आप संतुष्ट हैं तो मुझे नहीं पूछना है ।

उपसभापति : यहां संतुष्ट होने का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि आदिवासी लोग संतुष्ट होने चाहिए ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPTT. OF WASTELAND DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): Madam, there is a very clear-cut division, that the land, notified under the Forest Act, which comes under the various Departments of the States will be developed with the funds allocated to the various Ministries of the States and the Central Ministry of Forests and Environment, and the land—wasteland and other land-which is non-forest land will be developed by the Rural Development Ministry and the Department of Wasteland Development, and we are spending allotted funds for developing those lands, especially in the adivasi areas where the land is highly degraded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you now satisfied? I think, I am.

श्री अजीत जोगी : महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उससे ही संबंधित है । मेरा यह मानना है कि वन विभाग ने बहुत बड़ी राशि जंगल विभाग की जमीन पर वृक्षारोपण में खर्च की है और मेरा यह भी मानना है कि जो राशि खर्च हुई है, वह जंगल विभाग के माध्यम से खर्च हुई है और उसका 90 से 95 प्रतिशत अपव्यय हुआ है ।

महोदया, जितने वृक्ष इन्होंने लगाए हैं, उनमें से अधिकांश वृक्ष कभी जिंदा नहीं रहते हैं । इसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा था, तो हमें वहां के स्थानीय निवासियों को इसमें शामिल करना होगा । जब तक आप वन विभाग के माध्यम से या सरकारी विभाग के माध्यम से कार्य करते रहेंगे, तब तक वृक्षारोपण का कार्य सफल नहीं होगा । इस लिए मैं चूंकि यह प्रश्न ग्रामीण मंत्रालय से संबंधित है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वन और पर्यावरण विभाग से समन्वय करेंगे और उन से जमीन अपनी तरफ ले कर ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण विकास के अंतर्गत बनायेंगे जिसमें स्थानीय लोगों और विशेषकर आदिवासियों और आदिवासियों की समितिय को वृक्षारोपण का कार्य दिया जाए ? ऐसा समन्वय करेंगे जिस से जो करोड़ों रुपया वन विभाग का व्यय हो रहा है उस का सदुपयोग करके वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके ?

उपसभापति : इन्होंने आप को जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा है । आप इस पर गौर कीजिए । जो लोग पेड़ों से प्यार रखते हैं अगर उन को इस काम में शामिल करेंगे तो वे पेड़ों का ध्यान रखेंगे और सरकार का पैसा भी बरबाद नहीं होगा और आप के पेड़ भी जिन्दा रहेंगे और पेड़ लगाने में उन लोगों को काम भी मिलेगा । आप इस पर विचार कीजिए ।

श्री उत्तमभाई पटेल : जी, हां ।

SHRI AJIT P. K. JOGI: I must thank you, Madam Deputy Chairman.

SHRI VIREN J. SHAH: Madam, this question is about allotment of forest land for planting...*(Interruptions)*...

SHRI AJIT P. K. JOGI: Is today your birthday?

SHRI VIREN J. SHAH: Yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Many happy returns.

SHRI VIREN J. SHAH: Thank you, Madam. (*Interruptions*)...May I draw the attention of the hon. Minister to the fact that, on the one hand there is an allocation of Rs. 30,000 crores, which is a very good thing and, on the other hand, the forest lands, as the hon. Minister of Wasteland Development has mentioned just now, come under the State Government. If the State wants to get them developed by planting trees through non-governmental agencies, it has to come to the Central Government. The point which I want to make is that there are large areas of forest wasteland where the Government is not going to plant any trees for years together. I know that it has happened in Maharashtra. But there are corporate bodies who are offering to do that without charging anything. The possession will remain with the Government. They don't take even a leaf out of it, but grow trees and make effective the afforestation programme. Would the hon. Minister kindly consider giving such permission to the State Governments so that large tracts of such land could be afforested? I am prepared to put the question in Gujarati if the Minister was not able to follow the question.

उपसभापति : आपकी समझ में पड़ गया सवाल मंत्री जी ?

श्री उत्तम भाई पटेल : समझ में पड़ गया, लेकिन जंगल विभाग का सवाल मेरे गले में क्यों डाल रहे हैं ?

SHRI VIREN J. SHAH: The question was asked of the Prime Minister. Then the right Minister should explain it.

उपसभापति: मंत्री जी, ऐसा है कि जिस का गला हाजिर होगा उसी में हाथ डालेंगे। आपका गला यहां मौजूद था, उन्होंने हाथ डाल दिया। आप कह दीजिए करेंगे ...(**व्यवधान**)

श्री उत्तम भाई पटेल : हमारी जो बंजर भूमि पड़ी है, उस बंजर भूमि में हम पेड़ लगाने का काम कर ही रहे है (**व्यवधान**)

COL. RAM SINGH: Madam, if I am permitted, I may reply to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

COL. RAM SINGH: Madam, I am not absolutely sure about the policy of the Forest Department at present. But the general opinion is that the forest cover in India is depleting at such a rapid rate that I don't think it will be advisable to divert any degraded forest area for private purposes.

SHRI VIREN J. SHAH: Not for private purposes, but for afforestation.

COL. RAM SINGH: Mr. Shah, I agree. What you are saying is that the corporate sector and private societies will do afforestation on forest land. But what is the guarantee that the Mortality rate will come down.

SHRI VIREN J. SHAH: Why don't you allow them to plant trees? There is no question of their vanishing.

COL. RAM SINGH: The correct thing would be — it is normally accepted — 33 per cent of the land area should be under the forest cover. At present, India has got about 11 per cent of land under forest cover. Therefore, more and more land should be diverted and more and more land should be notified as forest land rather than detracting it from the forest and putting it to private use.

उपसभापति : अभी सही गले में हार पड़ा ।

I close this question. Question No. 643.